

बिहार सरकार,
कृषि विभाग

ज्ञापांक-पी0पी0एम0-38/09- 4904-

/कृ0, पटना दिनांक 22-11, 2016

प्रेषक,

रामजी सिंह
सरकार के विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

#अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

#द्वारा - वित्त विभाग।

विषय -

योजनाओं के प्रभावकारी कार्यान्वयन हेतु सूत्रण, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण व्यवस्था के सुदृढीकरण के लिए किराये पर पूर्व में स्वीकृत 124 वाहन के अतिरिक्त 26 वाहन लेने हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में पूर्व में स्वीकृत 491.04 लाख रुपये के अतिरिक्त 102.96 लाख रुपये (एक करोड़ दो लाख छियानवे हजार रुपये) की लागत पर योजना कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति के अधीन अनुसूचित जनजाति के लिए 2.0592 लाख (दो लाख पाँच हजार नौ सौ बीस) रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत

निदेशानुसार विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या- 3412 दिनांक: 02.08.2016 के क्रम में योजनाओं के प्रभावकारी कार्यान्वयन हेतु सूत्रण, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण व्यवस्था के सुदृढीकरण के लिए किराये पर पूर्व में स्वीकृत 124 वाहन के अतिरिक्त 26 वाहन लेने हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में पूर्व में स्वीकृत 491.04 लाख रुपये के अतिरिक्त 102.96 लाख रुपये (एक करोड़ दो लाख छियानवे हजार रुपये) की लागत पर योजना कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति के अधीन अनुसूचित जनजाति के लिए 2.0592 लाख (दो लाख पाँच हजार नौ सौ बीस) रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. कृषि विभाग की योजनाओं के कार्यान्वयन एवं पर्यवेक्षण के लिए अन्य शर्तें विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या- 3412 दिनांक: 02.08.2016 में निहित प्रावधान के अनुसार लागू रहेंगी।

3. मुख्यालय एवं क्षेत्रीय स्तर पर वाहन की अतिरिक्त आवश्यकता संबंधित विवरणी अनुसूची-1 पर संलग्न है। विभिन्न स्तर पर वाहन के एक पूल की स्वीकृति दी जाती है ताकि संबंधित मुख्यालय में पदस्थापित पदाधिकारियों/ निरीक्षण दल/ जाँच पदाधिकारी/ भारत सरकार के प्रतिनिधि एवं अन्य गण्यमान्य अतिथियों/माननीय मंत्री को आवश्यकता के अनुरूप पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण के लिए वाहन उपलब्ध कराया जा सके।

4. कृषि निदेशालय, बिहार, पटना के आदेश, ज्ञापांक-3695 दिनांक: 22.08.2013 द्वारा स्वीकृत दर के आधार पर भाड़े के वाहन का मासिक किराया का भुगतान किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी भुगतान करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि वाहन का उपयोग विभागीय कार्य के लिए किया जा रहा है। सभी पदाधिकारियों के द्वारा आवश्यकतानुसार ही वाहन रखा जायेगा। स्वीकृत राशि से अधिक व्यय नहीं किया जायेगा। योजनान्तर्गत बजट उपबंध की सीमा में व्यय सुनिश्चित किया जायेगा। योजना कार्यान्वयन में आवश्यकतानुसार परिवर्तन प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकता है।

5. उक्त योजना के लिए स्वीकृत राशि 2.0592 लाख (दो लाख पाँच हजार नौ सौ बीस) रुपये का व्यय बजट शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष 796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना माँग संख्या-1 उप शीर्ष-0134 इनटेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना, विपत्र कोड P2401007960134 राज्य योजना स्कीम कोड- AGR-5022, विषय शीर्ष- 13 02 वाहन का ईंधन एवं रख रखाव में वर्ष 2016-17 के लिए उपबंधित 18.00 लाख रुपये से विकलनीय होगा।

6. आवंटन तथा खर्च नियंत्रण के संबंध में वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 2561 दिनांक: 17.04.1998 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.3.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या-96 वि०(2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्री, कृषि की स्वीकृति संचिका संख्या-पी०पी०एम०-38/09 के पृ०सं०- 224/टि. पर प्राप्त है।

8. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या पी०पी०एम०-38/09 के पृ०सं०- 226/टि. पर दिनांक- 17.11.2016 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(15/22/11/H
(रामजी सिंह)

सरकार के विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या- पी०पी०एम०-38/09 4904 /क०, पटना, दिनांक 22-11-2016

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(15/22/11/H
सरकार के विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या- पी०पी०एम०-38/09 4904 /क०, पटना, दिनांक 22-11-2016

प्रतिलिपि:- योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(15/22/11/H
सरकार के विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या- पी०पी०एम०-38/09 4904 /क०, पटना, दिनांक 22-11-2016

प्रतिलिपि:- संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(15/22/11/H
सरकार के विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या- पी०पी०एम०-38/09 4904 /क०, पटना, दिनांक 22-11-2016

प्रतिलिपि:- संबंधित कोषागार पदाधिकारी तथा उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(15/22/11/H
सरकार के विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या- पी०पी०एम०-38/09 4904 /क०, पटना, दिनांक 22-11-2016

प्रतिलिपि- कृषि मंत्री के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक-सह-नियंत्रक, माप-तौल/अपर निदेशक (शष्प), प्रसार, बिहार, पटना/संबंधित उप निदेशक/संबंधित सहायक निदेशक/संबंधित अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/संबंधित सहायक निदेशक/संबंधित संयुक्त निदेशक/संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी/संबंधित प्रमण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(15/22/11/H
सरकार के विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

22

Pratap

अनुसूची-1

कृषि विभाग के अधीन वित्तीय वर्ष 2016-17 में विभिन्न पदाधिकारियों के लिए किराये पर अतिरिक्त वाहन हेतु स्वीकृत राशि/ संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की विवरणी।

(राशि रु० में)

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	अतिरिक्त भाडे के वाहन की संख्या	सामान्य वर्ग के लिए	अनुसूचित जाति के लिए	अनुसूचित जनजाति के लिए	कुल स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)
1	उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना का पूल	1	308880	79200	7920	396000
2	सहायक निदेशक, उद्यान, बक्सर	1	308880	79200	7920	396000
3	उप निदेशक उद्यान, तिरहुत प्रमुडल, मुजफ्फरपुर	1	308880	79200	7920	396000
4	उप निदेशक उद्यान, मगध प्रमुडल, गया	1	308880	79200	7920	396000
5	संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना का पूल	2	617760	158400	15840	792000
6	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, सारण	1	308880	79200	7920	396000
7	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, मधुबनी	1	308880	79200	7920	396000
8	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, जहानाबाद	1	308880	79200	7920	396000
9	उप निदेशक (शष्प), टाल दियारा चौड़ विकास, बिहार, पटना	1	308880	79200	7920	396000
10	अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा	1	308880	79200	7920	396000
11	संयुक्त निदेशक, (रसायन), मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, बिहार, पटना का पूल (उप निदेशक (रसायन), प्रमारी केन्द्रीय मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, DDO Code AGR 019 के लिए)	1	308880	79200	7920	396000
12	निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना का पूल	1	308880	79200	7920	396000
13	सहायक निदेशक (शष्प), भूमि संरक्षण बांका	1	308880	79200	7920	396000
14	उप निदेशक (शष्प)-सह-प्राचार्य, प्रसार पशिक्षण केन्द्र, मुशहरी, मुजफ्फरपुर	1	308880	79200	7920	396000
15	अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, रोसड़ा	1	308880	79200	7920	396000
16	उप निदेशक (शष्प) सामान्य, सारण प्रमंडल, छपरा	1	308880	79200	7920	396000
17	कृषि निदेशालय का पूल	7	2162160	554400	55440	2772000
18	संयुक्त निदेशक (शष्प), पटना प्रमंडल, पटना (प्रशासी-सह- बजट पदाधिकारी-सह- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि विभाग, पटना के लिए)	1	308880	79200	7920	396000
19	निदेशक, पी.पी.एम. का पूल	1	308880	79200	7920	396000
	कुल	26	8030880	2059200	205920	10296000

(एक करोड़ दो लाख छियानवें हजार रुपये मात्र)